फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण

- 142/2024

दाखा देवी बनाम गोपाली देवी

आज्ञा ...वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...2024	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जैन हाजिर/प्रार्थी अधिवक्ता ने मामले की अर्जेन्ट प्रकृति बताते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगणों को आवेदन की सूचना दिए बिना तत्काल व्यादेश जारी किया जावें अन्यथा व्यादेश देने का उददेश्य विलम्ब द्वारा निष्फल हो जाएगा। प्रार्थी को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते यह कि प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश हुआ है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में अंकित विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः बिना गुणावगुण पर विचार किए प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु को संरक्षित करने एवं वाद बहुलता को रोकन के लिए प्रार्थीगणों को सूचना दिए बिना प्रार्थना पत्र के चरण संख्या (2) में अंकित विवादित भूमि के खाता संख्या 216 के खसरा नंबर 5034 कुल किता 01 कुल रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम चाकसू पूर्व पटवार हल्का चाकसू पूर्व तहसील चाकसू जिला जयपुर पर **आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एवं विशिष्ट भू–भाग का बेचना ना करें।** प्रार्थी अधिवक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि इस व्यायदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की प्रति आवेदन के साथ में फाइल किए गए शपथ पत्र की प्रति, उन दस्तावेजों की प्रतियॉं जिन पर आवेदन निर्भर करता है, जरिये रजि. डाक सम्मन के साथ अप्रार्थीगणों को आज ही भिजवायें। सम्मन जारी होकर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दिये जावें। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता यह कथन करने वाला शपथ पत्र एक दिवस में प्रस्तुत करे कि उपर्युक्त प्रतियां इस प्रकार अप्रार्थीगणों को भेज दी गई है। उपर्युक्त शपथ पत्र पेश करने में विफल रहने पर यह व्यायादेश स्वतः निष्फल माना जावेगा। यह व्यायादेश अप्रार्थीगणों को कृषि उपयोग हेतु बैक ऋण, विद्युत कनेक्शन/पम्पसेट/सौलर पैनल आदि लगाने हेतु नहीं रोकेगा। वास्ते इन्ताजार तलवी एवं पेश होने शपथ पत्र दिनांक 28.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामील नहीं करवाई गई। न ही प्रार्थी वकील द्वारा न्यायालय फीस / डाक महसूल जमा कर दिया गया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत प्रा. पत्र 212 RTA का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	